अध्याय-I

राजस्थान में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना का कार्यान्वयन

परिचय

1.1 भारत में विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला मुख्य रूप से उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण क्षेत्रों में विभाजित है। वितरण क्षेत्र में विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम्स) सम्मिलित है जो संबंधित विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर विद्युत के क्रय एवं उपभोक्ताओं को इसके विक्रय के लिए उत्तरदायी हैं। यह क्षेत्र वित्तीय एवं परिचालन स्थिरता के संदर्भ में सबसे कमजोर कड़ी है।

राजस्थान में, विद्युत क्षेत्र सुधारों के रूप में, राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को विघटित कर दिया था एवं विद्युत क्षेत्र की पांच कंपनियों {यथा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जयपुर डिस्कॉम), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अजमेर डिस्कॉम) एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जोधपुर डिस्कॉम)}का गठन किया था (जून 2000)। राजस्थान में राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम्स एक दुष्चक्र में फंस गई थी, जिसमें परिचालन हानियों को ऋण के द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा था।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना का प्रारंभ

1.2 केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने डिस्कॉम्स की परिचालन एवं वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न योजनाएं एवं प्रस्ताव प्रारंभ किये थे। इन्हें सीमित सफलता मिली एवं डिस्कॉम्स ने अर्थव्यवस्था में संसाधनों के अवशोषक बने रहे । नवंबर 2015 के दौरान, विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) ने राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम्स[1] के वित्तीय कायाकल्प एवं परिचालन दक्षता में सुधार के दोहरे उद्देश्य के साथ उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) प्रारंभ की। इस योजना की परिकल्पना मितव्ययी एवं सुलभ 'सभी के लिए 24X7 विद्युत' के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक अग्रणी सुधार के रूप में की गई थी।

इसके अतिरिक्त, भाग लेने वाले राज्यों द्वारा 'सभी के लिए 24X7 विद्युत' अभिलेख की परिकल्पना के अनुसार डिस्कॉम की दक्षता में सुधार करने हेतु अन्य कार्यकलापों के लिए राज्य विशेष हेतु लक्षित कार्यक्रम विकसित किया जाना वांछित था। साथ ही, परिचालन सुधारों के

---

1 जयपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम एवं जोधपुर डिस्कॉम

परिणामों को निम्नलिखित दो संकेतकों के माध्यम से मापा जाना था:

एटीएंडसी हानियों में कमी

- **विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्यों द्वारा हानि में कमी के प्रक्षेपवक्र के अनुसार 2018-19 में एटीएंडसी हानि को 15 प्रतिशत तक कम करना।**

राजस्व अंतर में कमी

- **विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्यों द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार, 2018-19 तक आपूर्ति की औसत लागत एवं औसत राजस्व वसूली (एसीएस-एआरआर) के मध्य अंतर को शून्य करना।**

साथ ही, उदय के दिशानिर्देशों (दिशानिर्देशों) में यह अपेक्षा की गई थी कि संबंधित राज्य सरकार, डिस्कॉम्स एवं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएं, जिसमें उदय के अंतर्गत वर्णित वित्तीय एवं परिचालन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार, डिस्कॉम्स एवं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के उत्तरदायित्व वर्णित हों।

राजस्थान

1.3 उदय को प्रारंभ किए जाने के समय, राजस्थान के सभी तीन डिस्कॉम्स गंभीर वित्तीय तनाव की स्थिति में थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.1: डिस्कॉम्स पर वित्तीय तनाव के संकेतक

विवरण	जयपुर डिस्कॉम	अजमेर डिस्कॉम	जोधपुर डिस्कॉम	कुल
वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व घाटा (₹ करोड़ में)	4,735	3,593	4,146	12,474
वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत में संचित हानियां (₹ करोड़ में)	27,831	26,844	26,736	81,411
सितम्बर 2015 के अंत में बकाया ऋण (₹ करोड़ में)	28,056	26,597	25,877	80,530
वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ब्याज एवं वित्त लागत का भार (₹ प्रति यूनिट विद्युत विक्रय में)	1.62	2.09	1.71	1.62 से 2.09
ब्याज एवं वित्त लागत का भार का राष्ट्रीय औसत (₹ प्रति यूनिट विद्युत विक्रय में)	0.44	0.44	0.44	0.44
एआरआर के माध्यम से एसीएस की वसूली	70%	70%	69%	69-70%

स्रोत: उदय के अंतर्गत निष्पादित त्रिपक्षीय एमओयू।

राज्य डिस्कॉम्स पर वित्तीय तनाव ने राजस्थान को उदय का विकल्प चुनने हेतु एक आदर्श राज्य बना दिया था। राज्य के तीनों डिस्कॉम्स में से प्रत्येक ने अपने अधिकार क्षेत्र में उदय के कार्यान्वयन हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के साथ एक पृथक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया (जनवरी 2016)।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं उद्देश्य

1.4 इस निष्पादन लेखापरीक्षा में 2015-16 से 2020-21 के दौरान राज्य में उदय के कार्यान्वयन को सम्मिलित किया गया है। लेखापरीक्षा के अंतर्गत राज्य के तीनों डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति एवं 2015-16 से 2020-21 के दौरान उदय के अंतर्गत निर्धारित प्रमुख परिचालन मापदंडों/लक्ष्यों के समक्ष उनकी उपलब्धि से संबंधित आंकड़ों एवं अभिलेखों की समीक्षा की गई थी। इसके अतिरिक्त, आरआरवीयूएनएल द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत में कमी हेतु किए गए प्रयासों से संबंधित अभिलेखों की भी समीक्षा की गई थी।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था कि:

- डिस्कॉम्स के वित्तीय कायाकल्प का अंतिम उद्देश्य, जैसा कि उदय में परिकल्पना की गई थी, प्राप्त हुआ था एवं एमओयू की शर्तों की अनुपालना की गई थी; एवं
- उदय में लक्षित परिचालन दक्षता इच्छित परिणामों के साथ प्राप्त की गई थी।

लेखापरीक्षा मानदंड

1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिये गये थे:

- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उदय पर जारी (नवंबर 2015) कार्यालय ज्ञापन;
- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं डिस्कॉम्स के मध्य निष्पादित (जनवरी 2016) त्रिपक्षीय एमओयू;
- विद्युत अधिनियम 2003 एवं एमओपी, भारत सरकार द्वारा जारी टैरिफ नीति 2016;
- राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग एवं केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी नियम, विनियम, नियमावली, मानक एवं नीति अभिलेख; एवं
- डिस्कॉम्स के वार्षिक प्रतिवेदन, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), नियमावली एवं नीतियां; पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आरईसी लिमिटेड एवं नीति आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन; राजस्थान सरकार द्वारा जारी ऋण स्वीकृति आदेश; तथा डिस्कॉम्स के निदेशक मंडल (बीओडी) एवं अन्य समितियों की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त।

लेखापरीक्षा कार्यविधि एवं विस्तार

1.6 29 अक्टूबर 2021 को सरकार/डिस्कॉम्स के साथ एक प्रविष्टि सभा आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा में तीनों डिस्कॉम्स के प्रधान कार्यालयों के साथ-साथ समीक्षा हेतु चयनित वृत्त कार्यालयों के अभिलेखों की समीक्षा सम्मिलित थी। अभिलेखों/आंकड़ों की विस्तृत संवीक्षा हेतु 33 वृत्त कार्यालयों

में से नौ कार्यालयों[2], नौ खण्ड कार्यालयों (चयनित वृत्त कार्यालयों के अधीन 39 खण्ड कार्यालयों का 23 प्रतिशत) एवं चयनित खण्ड कार्यालयों के अधीन सभी 37 उप-खण्ड कार्यालयों (100 प्रतिशत) का चयन किया गया था, जैसा कि **अनुबंध-1** में दर्शाया गया है।

प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार, डिस्कॉम्स एवं आरआरवीयूएनएल को सितंबर 2022 में जारी किया गया था। सरकार से उत्तर प्राप्त होने (अक्टूबर 2022) के पश्चात, लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं अनुशंसओं पर सरकार के साथ समापन सभा (19 जनवरी 2023) में चर्चा की गई थी। राज्य सरकार/प्रबंधन द्वारा दिए गए उत्तरों एवं व्यक्त किए गए विचारों को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है। तत्पश्चात, प्रारूप प्रतिवेदन पुनः राज्य सरकार, डिस्कॉम्स एवं आरआरवीयूएनएल को उनके उत्तर/टिप्पणियों हेतु 19 जनवरी 2024 को जारी किया गया था तथापि, 30 जनवरी 2024 तक कोई अन्य उत्तर/टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी।

आभार

1.7 लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों को प्रदान किए जाने में ऊर्जा विभाग, डिस्कॉम्स एवं उनके अधिकारियों द्वारा दिए गये सहयोग एवं सहायता के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है।

2 राज्य के तीन डिस्कॉम्स में से प्रत्येक से तीन वृत्त कार्यालय।